न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

हकियत वाद सं0– 462 सन् 2016

देवेश कुमार गुप्ता व अन्य..........वादिगण

बनाम

बनवारी साह व अन्य.............प्रतिवादीगण।

दिनांक– 13.04.2021

उभय पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ताओं को वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 06.01.2020 पर सुनवाई के पश्चात् आदेश हेतु नियत किया है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादीगण की ओर से आदेश 1 नियम 10 वो धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता के अंतर्गत आवेदन दाखिल कर कथन है कि वाद के विवादित एराजी के दखल कब्जा में गोपाल प्रसाद वल्द हिरा राम प्रसाद, साकिन मौजा– पहाड़ीचक परवेजाबाद, पो0, थाना– सोनपुर, जिला– सारण में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया है। गोपाल प्रसाद विवादित एराजी में स्थित वादीगण के दीवाल को बलपूर्वक तोड़ देना चाहते हैं और मना करने पर झगड़ा–झंझट करने लगते हैं। दीवाल तोड़ने पर वादीगण को काफी क्षति है। जिसके कारण प्रस्तुत वाद गोपाल प्रसाद को पक्षकार बनाना अति आवश्यक है। अतः निवेदन है कि गोपाल प्रसाद वल्द हिरा राम प्रसाद को पक्षकार बनाकर प्रतिवादी के खाने में दर्ज करने की आदेश दिया जाए।

प्रतिवादीगण की ओर से दिनांक 22.02.2021 को प्रतिउत्तर दाखिल कर कथन है कि वादी की ओर से दाखिल आवेदन स्वीकृत होने योग्य नहीं है। वादी आदेश 1 नियम 10 के माध्यम से जिस व्यक्ति को पक्षकार बनाना चाहते हैं उनका न तो भूमि से कोई संबंध है और ना ही बैनामा दिनांक 20.07.2016 में ही कोई जिक है। वादी अपने आवेदन के माध्यम से अपनी मेली व्यक्ति को पक्षकार बनाना चाहते हैं। अतः निवेदन

है कि वादी का आवेदन खारिज किया जाए। अभिलेख का अवालोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित है कि वादीगण ने प्रस्तुत वाद दाखिल कर विवादित एराजी सिड्यिुल नं0 1 वादपत्र में वर्णित खाता सं0 269 सर्वे नं0 1164 के संबंध में वोसिका बैनामा 20.07.2016 को बेकार एवं शुन्य घोषित करने हेतु अनुतोष की मांग की गई है। वादीगण ने अपने आवेदन में कहा है कि विवादित एराजी में स्थित दीवाल को गोपाल प्रसाद वल्द हिरा राम प्रसाद तोड़ देना चाहते हैं। परंतु गोपाल प्रसाद वल्द हिरा राम प्रसाद का वादीगण के दीवाल को क्यों तोड़ देना चाहते हैं। इसका कोई ठोस कारण अपने आवेदन में नहीं बताया है। ऐसी परिस्थिति में वादीगण की ओर से दाखिल आवेदन आदेश 1 नियम 10 वो धारा 151 सिविल प्रकिया संहिता दिनांक 06.01.2020 पोषणीय नहीं है। अतः उसे खारिज किया जाता है।

वाद दिनांक 25.05.2021 को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर सारण।